पर्यटकों हेतु सूचना :

- भारत सरकार के प्राचीन संस्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 तद्नियम 1959 एवं संशोधित नियम जून 1992 के अनुसार किसी भी राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक/स्थल व उससे लगी सीमाओं से 100 मीटर के क्षेत्र को प्रतिषिद्धक्षेत्र घोषित किया गया है इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण/खनन की अनुमति नहीं दी जा सकती है तथा किया गया निर्माण अवैध एवं असंवैधानिक माना जायेगा। इससे परे 200 मीटर तक के क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया है, विनयमित क्षेत्र में भी निर्माण हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पूर्वानुमति आवश्यक है तथा बिना पूर्वानुमति के किया गया निर्माण/खनन अवैध माना जायेगा। प्रतिषिद्धएवं विनियमित क्षेत्र में वर्ष 1992 से पूर्व भवनों की मरम्मत हेतु भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पूर्वानुमति आवश्यक है।
- प्राचीन संस्मारक से तात्पर्य है कि कोई प्राचीन मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, कब्रिस्तान, मकबरा, इमामबाड़ा, ईदगाह, हमाम, कर्बला, किला, प्राचीन कुएं, बावड़ी, ऐतिहासिक तालाब व घाट, महल, हवेली, धर्मशालाएँ, प्राचीन द्वार, मानव निर्मित गुफाएँ, स्तम्भ, उत्कीर्ण प्रतिमाएँ, छतरियां, स्मृति स्मारक, स्तूप, विहार, उत्खनित स्थल, उत्कीर्ण लेख, प्राचीन पुल, वेधशाला, कोस मीनार, एकाश्मक तथा ऐसी संरचना जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है। "पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष" से तात्पर्य है कि कोई ऐसा प्राचीन टीला/क्षेत्र जिनमें ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के अवशेष होने की संभावना है।
- पुरावशेष से तात्पर्य है कि कम से कम एक सौ वर्ष प्राचीन कोई भी मानव निर्मित वस्तु जैसे प्राचीन सिक्के, अस्त्र-शस्त्र, प्रतिमाएँ, पुराभिलेख, चित्रकारी, कलात्मक शिल्पकारी, ताम्रपत्र आदि। पाण्डुलिपियां जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक तथा कलात्मक महत्व की हों तथा कम से कम 75 वर्षों से अधिक प्राचीन हों।
- स्मारक और उद्यान सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला है।
- स्मारक की दीवारों पर अपना नाम न लिखें।
- चित्रांकन हेतु अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जयपुर मण्डल से रु. 5000/- प्रतिदिन प्रति स्मारक के शुल्क पर अनुमति प्राप्त की जा सकती है।
- वीडियोग्राफी शुल्क रु.25/- स्मारक है।

प्रकाशन

अधीक्षण पुरातत्वविद्

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

70/133,140, पटेल मार्ग, "कैलाश" मानसरोवर, जयपुर-302020

टेलीफैक्स : 0141-2396523 ई-मेल : circlejai.asi@gmail.com

पुण्डीकजी की हवेली
ब्रह्मपुरी, जयपुर

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

जयपुर मण्डल, जयपुर

2010

पुण्ड्रीकजी की हवेली
ब्रह्मपुरी, जयपुर

जयपुर शहर के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में अवस्थित पुण्ड्रीकजी की हवेली जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह के शासनकाल (सन 1700 – 1743 ई.) में उनके राजकीय पुरोहित रत्नाकर भट्ट के निवास हेतु बनाई गई थी। रत्नाकर

भट्ट ज्योतिष एंव तंत्रविद्या के महान ज्ञाता थे। उनके द्वारा पुण्ड्रीक यज्ञ किये जाने के कारण महाराज ने उन्हे पुण्ड्रीक की उपाधि से सुशोभित किया। अतएव इस हवेली को पुण्ड्रीक जी की हवेली के नाम से जाना जाता है।

इस हवेली के वर्तमान अवशेष जो अब राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित हैं ; वस्तुतः वे एक बहुत बड़े आवासीय परिसर के केवल दक्षिण–पश्चिमी भाग हैं। यह एक द्विमंजिला भवन है जिसके अंतर्गत कई छोटे कक्ष, दक्षिण पश्चिम में एक अष्टकोणीय बुर्ज एंव पाषाण के बने जालियों युक्त झरोखें शामिल हैं। यह भवन उपरी मंजिल पर स्थित एक कक्ष में बने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है जिसमें राजकीय दरबार, होली एवं गणगौर जैसे पर्वों का समारोह आयोजन, राजसी जूलूस, भवन से सेना का प्रयाण आदि दृश्यों को दर्शाया गया है।

हवेली के ये भित्तिचित्र सवाई जगत सिंह के शासनकाल (सन् 1803–1819 ई.) के दौरान फ्रेस्को–सेको तकनीक के द्वारा

बनाये गये हैं। इस तकनीक में चूना, रेत, संगमरमर का चूर्ण एंव नारियल के मिश्रण से दीवार पर बनायी गयी एक विशिष्ट परत पर रंगों का प्रयोग किया जाता है। इन चित्रों को बनाने में मुख्यतः भू–अयस्क से प्राप्त रंगों का प्रयोग किया गया है, जिसमें सफेद, पीला, गेरू (रामरज), हल्का भुरा, हरा (हरा भाटा) एंव लाल (गेरू) से तैयार लाल रंग के विभिन्न प्रतिरूप प्रमुख हैं। पृष्ठभूमि हेतु प्रायः किसी एक ही रंग, यथा लाल श्वेत या गेरू–दीर्घाओं के लिए, हल्का भूरा–प्रांगण के लिए तथा प्राकृतिक हरे रंग का प्रयोग घास के मैदानों के लिए

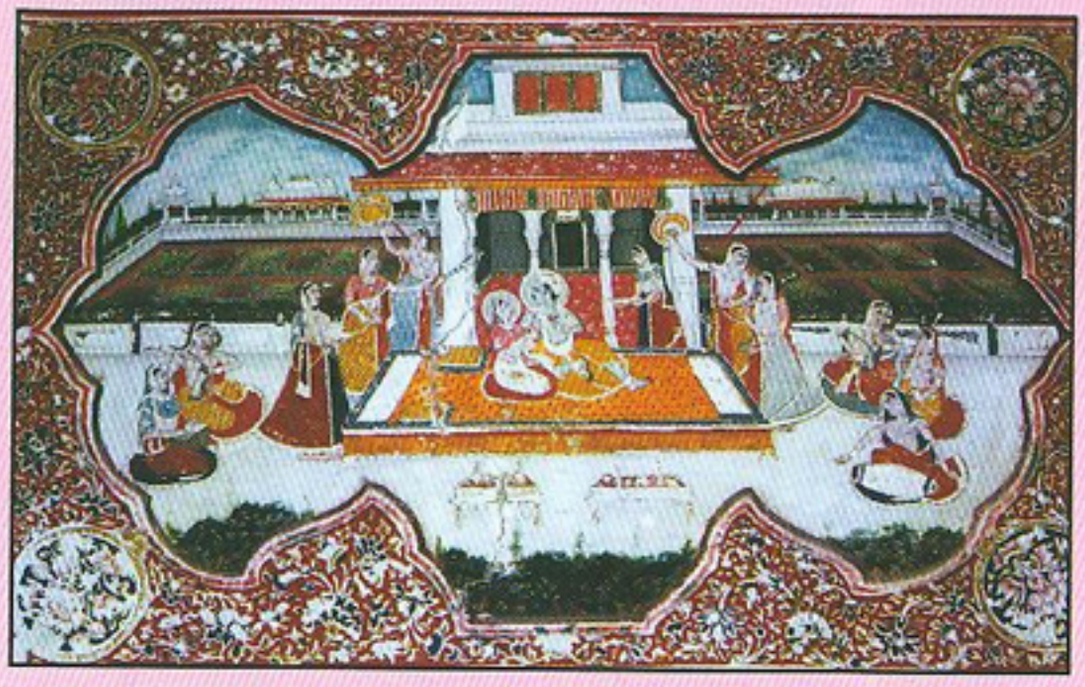

किया गया है तथा स्थापत्य के उच्चावचों के द्वारा इनकी बाह्यरेखाओं को सीमांकित किया गया है। इन कारणों से चित्रों में एक संतुलन तथा सुस्पष्टता का भाव प्रकट हो जाता है, जो जयपुर शैली के चित्रों की प्रमुख विशिष्टता है।

उपर्युक्त भित्तिचित्रों को तीन क्षैतिज अनुभागों या पट्टियों में बांटा जा सकता है। सबसे निम्न अनुभागों में पुष्पगुच्छों का अंकन किया गया है जबकि ऊपर के पट्टियों या अनुभागों में विषयपरक बड़े चित्रों को स्थान दिया गया है। दीवार एंव छत के जुड़ने वाले ढलंवे स्थलों पर पुष्प अलंकरणों के साथ एकांतर से सुंदर नायिकाओं को चित्रित किया गया है। छत के आंतरिक भाग को भी पुष्पाहार एंव इस अभिप्राय के अन्यान्य अलंकरणों से सुसज्जित किया गया है। इन चित्रों की मुख्य चरित्रगत विशिष्टता इनकी सुस्पष्टता, आनुपातिक संतुलन, लयबद्धता एंव अंततः जीवंतता है।

चित्रों के प्रमुख प्रतिपाद्य विषयों में महाराजाओं के निजी जीवन के विभिन्न दृश्यों के साथ राजकीय दरबार, होली एवं गणगौर के समारोह, शिकार के दृश्य तथा मुगलशासकों का दरबार शामिल है। एक सुंदर महल का आंतरिक दृश्य तथा वहाँ कार्यरत परिचारिकाओं की भावपूर्ण प्रस्तुति उल्लेखनीय है।

जयपुर के महाराजाओं का दरबार तथा एक दूसरे दृश्य में

मुगल शासकों का चित्रण काफी रोचक बन पड़ा है। यहाँ मुगल दरबार के दृश्य में, शासक स्थानीय परंपरानुसार धरातल पर न बैठकर, चौड़े एंव ऊँचे आसनों पर मुगलदरबार के रीतिनुसार घुटनों के बल पैरों को पीछे मोड़कर बैठे हैं। गणगौर समारोह का दृश्य कहीं अधिक उर्जावान एंव जीवंत बन पड़ा है। महल के एक दृश्य में कक्ष व बरामदे संलग्न सतर स्तंम्भों के साथ चार मंजिलों में सामने के बड़े उद्यान एंव मध्यस्थ फव्वारों के साथ चित्रित किये गये हैं। इस दृश्य में अनेकानेक महिलाओं को विविध मुद्राओं में एक भद्रपुरूष के साथ दिखाया गया है। यह पुरूष जो कि संभवतः राजा है, एक पहियेदार पालकी पर बैठा है। इस चित्र में दर्शाई गई पालकी, उस पालकी के बिल्कुल समरूप है जो आज भी आमेर महल में देखी जा सकती है। एक अन्य दृश्य में एक युवा राजकुमार अपनी स्त्री के साथ घोड़े पर बैठकर एक महल जिसके चारों ओर पहाड़ियॉ व वृक्ष फैले हैं, से निकलकर बाहर जा रहा है और एक बड़ी संख्याँ में परिचर उनका अनुसरण कर रहे हैं। उनमें से कई के पास एक दंड या छड़ी है जो पोलो खेलने की छड़ी से काफी समानता रखती है। बहुत संभव है कि वे किसी चौगान खेल के मैदान की ओर जा रहे हैं। तत्कालीन अन्य कई लघुचित्रों में भी महिलाओं को चौगान खेलते हुए प्रदर्शित किया गया है।